

ljnkj oYyHkHkkbZ iVsy jk'V^ah; iqfyl vdkneh
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
¼Hkkjr ljdkj % x`g ea=ky;½ (Government of India : Ministry of Home
Affairs)
gSnjkckn : Hyderabad– 500 052.

Inter Office Note

Sub : **Notified RRs for the post of Pharmacist- Reg**

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Pharmacist is enclosed herewith for uploading the same in Academy website under "Recruitment Rules" column.

Sd/xxx 10.04.2020
(S. Ajeetha Begum)
Assistant Director (Estt)

Assistant Director (IT)

No. 11011/01/2009/Estt/RRs/A-5/Pharmacist

Dated: 10. 04.2020

	<p>Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3: The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.</p>	
--	---	--

[F. No. 23011/23/2019-PT]
B. K. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2020

सा.का.नि.29.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (अराजपत्रित कर्मचारीवृन्द) भर्ती नियम, 1959 को जहां तक उनका संबंध कंपाउंडर के पद से है उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में फार्मासिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (फार्मासिस्ट) भर्ती नियम, 2020 है।
(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति —
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह कारण को लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति** — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
फार्मासिस्ट	01* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29,200-92,300 रु.)	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के मध्य (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी-1 - आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।) टिप्पणी-2- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	शैक्षणिक अर्हताएं- 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ; 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मसी में डिप्लोमा और किसी राज्य फार्मसी काउंसिल में फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर्ड ; 3. किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में फार्मसिस्ट के रूप में 2 वर्ष का अनुभव। वांछनीय - कम्प्यूटर का प्रयोग करने में सक्षमता-ऑफिस अप्लीकेशन, स्प्रेड शीट्स तथा प्रजेन्टेशन्स कार्य में अनुभव होना।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति – क) केन्द्रीय या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29,200-92,300 रु.) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है। ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हैं। टिप्पणी 1 —प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2 —प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पुष्टि समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह-ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे – 1. उप निदेशक —अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक —सदस्य 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 23011/13/2017-पीटी]
ब्रजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 18th February, 2020

G.S.R. 29.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Police Training College (Non-gazetted Staff) Recruitment Rules, 1959, in so far as they relate to the post of Compounder except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Pharmacist) Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification.**—No person,-
 - (c) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (d) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen, other backward classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pharmacist.	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service: Group C, (Non-Ministerial) (Non-Gazetted)	Level 5 in the pay matrix Rs. 29,200 –92,300.	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Between 18-25 years. (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application and not the closing date prescribed for these in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Ladakh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands and the Union territory of Lakshadweep. Note 2: The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Educational qualifications: (i) 12 th class pass from recognised Board or University; (ii) diploma in Pharmacy from a recognised Institution and registered as a Pharmacist with any State Pharmacy Council; (iii) two years' experience as Compounder or Pharmacist or dispensing in any recognised Hospital. Desirable: Ability to use computers - Hands on experience in office applications, spread sheets and presentations.	Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years for direct recruitment.	By deputation failing which by direct recruitment.	<p>Deputation:</p> <p>(a) Officers from among the Central or State Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department in level 5 (Rs. 29,200 – 92,300) in the pay matrix.</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment for deputation or absorption shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Group 'C' Department Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of the following:—</p> <p>(1). Deputy Director - Chairman (2). Assistant Director - Member (3). Chief Medical Officer/ Medical Officer - Member</p>	Not applicable.

[F. No. 23011/13/2017-PT]

B. K. SINGH, Under Secy.